दिनांक–26 अप्रैल, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2. सीवान जिलान्तर्गत दरौंदा अंचल अन्तर्गत मौजा–उजॉय, थाना नं०–585, खाता नं०–357 सर्वे नं०–647 /648 में रकवा–1.26 एकड़ गैर मजरूआ मालिक परती कदीम भूमि बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3. बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर अंचल के मौजा–पाण्डेयपट्टी, थाना नं०–324, वार्ड नं०–12 (पुराना), खाता सं०–433, खेसरा सं०–638, रकवा–1.00 एकड़ (एक एकड़) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म 'पिण्ड' भूमि अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. नालंदा जिलान्तर्गत रहुई अंचल के मौजा–पुनहा, थाना नं०–170, खाता नं०–693, खेसरा नं०–2839, रकवा–17 डी० (सतरह डी०) गैर मजरूआ आम किस्म गड्ढ़ा भूमि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, नारायणपुर के भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

5. स्वास्थ्य विभाग में बिहार न्यायिक सेवा संवर्ग से (20 प्रतिशत कनीय प्रवर कोटि) वेतनमान रू० 3000–4500 (अपुनरीक्षित) में, स्वीकृत्यादेश संख्या–651 (5) दिनांक–30.06.1999 के द्वारा विधि पदाधिकारी के सृजित एक पद को फास्ट ट्रैक कोर्ट के उत्क्रमित वेतनमान रू० 51550–63070 (जिला न्यायाधीश प्रवेश विन्दु) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित तिथि 20.01.2011 से उत्क्रमण। **स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

6. राष्ट्रीय ई–शासन योजना अन्तर्गत ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का कार्यान्वयन Pilot Basis हेतु चयनित जिलों यथा–नालंदा, औरंगाबाद, मधुबनी एवं गया जिले में लागू कर विभिन्न प्रमाण–पत्र एवं अन्य नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में। **स्वीकृत।**

गृह (विशेष) विभाग

7. आतंकवादी/ उग्रवादी/ साम्प्रदायिक /जातीय विरोधाभाव/निर्वाचन संबंधी हिंसा, सामूहिक हिंसा एवं हिंसा की घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह–अनुदान के संबंध में निर्धारित नीति में संशोधन। **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

8. सहायक अभियंता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का दिनांक– 01.01.06 से स्वीकृत वेतनमान के संशोधन के संबंध में। **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

10. बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं के संबंध में। **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

11. अधवारा एवं खिरोई नदियों के बायें तटबंध के क्रमशः 0.0 कि०मी० से 43.60 कि०मी० एवं 44.00 कि०मी० से 90.50 कि०मी० एवं दायें तटबंध के 0.0 कि०मी० से 81.5 कि०मी० के बीच उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की योजना जिसकी राशि–167.03 करोड़ रूपये है, का प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. पटना ज़िला के बिहटा अंचल अन्तर्गत मौजा–समसारा, थाना संख्या–63, खाता संख्या–15 की खेसरा संख्या–810, रकबा–0.02 एकड़ एवं खेसरा संख्या–811, रकबा–0.02 एकड़ अर्थात् कुल रकबा– 0. 04 एकड़ गैर मजरूआ इनामतदार सरकारी भूमि बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ संख्या–78 के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. गया जिला में वृद्धाश्रम (Old Age Home) के निर्माण निराश्रित एवं परित्यक्त वृद्धजनों के आश्रम हेतु अंचल–मानपुर, मौजा–इगुणा थाना नं०–310, खाता नं०–128, खेसरा नं०–01, रकबा–2.00 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार, पुरानी परती भूमि समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। **स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

14. योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत जिला योजना कार्यालयों में योजना के निर्माण, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यो के अतिरिक्त कार्यालय के दिन–प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन हेतु योजना सहायक के 13 पद, संकलक–सह–डाटा इंट्री ऑपरेटर के 11 पद एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 26 पदों के सृजन की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

15. एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत निजी उद्यमी द्वारा स्वयं के जमीन पर नालंदा एवं मुजफ्फरपुर इंटिग्रेटेड वैल्यु चेन अन्तर्गत 11 अत्याधुनिक कृषि बाजारों की स्थापना के लिए कुल 374.75 करोड़ रू० {उद्यमी द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यमदों का लागत 310.05 करोड़ रूपये (उद्यमी का अंश 201.53 करोड़ रू०, राज्य सरकार का अंश 108.52 करोड़ रू०) एवं सीधे सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले मदों का लागत 64.70 करोड़ रूपये} की लागत पर योजना कार्यान्वयन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, निजी उद्यमी के द्वारा निवेश को घटाने के बाद अवशेष परियोजना लागत 173.22 करोड़ रूपये में से 80 प्रतिशत (138. 58 करोड़ रूपये) एडीबी से ऋण के रूप में तथा शेष 20 प्रतिशत (34.64 करोड़ रूपये) राज्य सरकार के स्वयं के निधि से व्यय की सैद्धान्तिक स्वीकृति, निजी उद्यमी के द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले परियोजना कार्यमदों पर अधिकतम 35 प्रतिशत भायेबिलिटी गैप फंडिंग/ अनुदान की सैद्धान्तिक स्वीकृति, परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वयन करने एवं उक्त शर्त्तों के अधीन एशियन विकास बैंक के साथ लोन तथा प्रोजेक्ट एग्रीमेन्ट हस्ताक्षर करने की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

16. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष 2012–13 के लिए तदर्थ तौर पर कुल 1300 करोड़ (एक हजार तीन सौ) रूपये गैर योजना मद में अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने तथा वर्ष 2011–12 के मार्च 2012 में एन०टी०पी०सी० को सीधे भुगतेय राशि का भुगतान 2012–13 के बजट उपबंध से किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**